5

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग

क्रमांक : एफ 6(57)प्र.सु./अनु.3/2004(2) दिनांक : 30.10.2004

## आदेश

ई–गवर्नेन्स परियोजनाओं के अलावा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार की अन्य परियोजनाओं के सम्बंध में निर्णय लेने की प्रकिया में एवं राज्य की सूचना प्रौद्योगिकी नीति की कियान्विति में गति लाने की दृष्टि से, कार्य विधि नियम 21 के अन्तर्गत एक परियोजना अनुमोदन समिति एवं तकनीकी समिति के गठन की राज्यपाल महोदय द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। समिति का गठन निम्न प्रकार होगा:–

| *समिति* | *गठन* | *स्थिति* |
|---|---|---|
| परियोजना अनुमोदन समिति | 1. सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग | अध्यक्ष |
| | 2. प्रमुख शासन सचिव (वित्त) या उनके मनोनित प्रतिनिधि | सदस्य |
| | 3. संबंधित विभाग के प्रमुख शासन / सचिव | सदस्य |
| | 4. सचिव, योजना | सदस्य |
| | 5. संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष | सदस्य |
| | 6. शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग से मनोनित प्रमुख तकनीकी संस्थाओं तकनीकी के दो विशेषज्ञ (जैसे IIT Institutes, BITs, Pilani, LNMIT etc) | विशेष आमंत्रित |
| | 7. निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग | सदस्य सचिव |
| तकनीकी समिति | 1. निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग | अध्यक्ष |
| | 2. सिस्टम एनालिस्ट–द्वितीय | सदस्य |
| | 3. संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष | सदस्य |
| | 4. मुख्य लेखाधिकारी / संबंधित विभाग के वरिष्ठ लेखाधिकारी | सदस्य |
| | 5. विभाग मे पदस्थापित एनालिस्ट कम प्रोग्रामर अथवा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के संबंधित अन्य अधिकारी | सदस्य |
| | 6. यदि आवश्यक हो तो निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग से मनोनित अधिकतम दो तकनीकी विशेषज्ञ | विशेष आमंत्रित |
| | 7. सिस्टम एनालिस्ट–प्रथम | सदस्य सचिव |

सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं जैसे HRD, Office Automation & Computerization of Department etc. के तकनीकी मुल्यांकन एवं प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति के लिये निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जावेगी:–

(अ) 20 लाख रूपये तक की लागत की परियोजनाओं के लिये:–

1- परियोजना को तकनीकी अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किया जाना – संबंधित विभाग द्वारा तकनीकी समिति को परियोजना प्रस्तुत करने से पुर्व प्रशासनिक विभाग से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी, तत्पश्चात ही संबंधित विभाग द्वारा उक्त परियोजना के तकनीकी अनुमोदन के लिये निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

2- तकनीकी समिति द्वारा परियोजना का मूल्यांकन – निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार द्वारा उक्त परियोजना के प्रस्ताव को तकनीकी मुल्यांकन हेतु तकनीकी समिति को भेजा जायेगा। तकनीकी समिति द्वारा संपादित किये गये तकनीकी मुल्यांकन की रिपोर्ट निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार को प्रस्तुत की जायेगी।

3- निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार द्वारा परियोजना का तकनीकी अनुमोदन तकनीकी समिति द्वारा प्रस्तुत की गई तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार द्वारा उक्त परियोजना की तकनीकी स्वीकृति जारी कर दी जायेगी।

4- परियोजना की वित्तीय स्वीकृतिः– परियोजना की तकनीकी स्वीकृति होने के पश्चात सम्बन्धित विभाग इसकी वित्तीय स्वीकृति निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही जारी करेगा।

5- निविदा प्रकिया – तकनीकी मुल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार परियोजना के कियान्वयन हेतु कम्प्यूटर, सॉफ्टवेयर एवं विविध मदों के क्रय हेतु एक क्रय समिति का गठन किया जायेगा। ऐसी क्रय समिति का गठन सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार के एक प्रतिनिधि इस समिति के सदस्य होंगे।

(ब) 20 लाख रूपये से अधिक परन्तु 50 लाख रूपये तक की लागत की परियोजनाओं के लियेः–

1. परियोजना को तकनीकी अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किया जाना – संबंधित विभाग द्वारा तकनीकी समिति को परियोजना प्रस्तुत करने से पूर्व प्रशासनिक विभाग से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी, तत्पश्चात ही संबंधित विभाग द्वारा उक्त परियोजना के तकनीकी अनुमोदन के लिये निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
2. तकनीकी समिति द्वारा परियोजना का मूल्यांकन – निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार द्वारा उक्त परियोजना के प्रस्ताव को तकनीकी मुल्यांकन हेतु तकनीकी समिति को भेजा जायेगा। तकनीकी समिति द्वारा संपादित किये गये तकनीकी मुल्यांकन की रिपोर्ट निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार को प्रस्तुत की जायेगी।
3. सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार द्वारा परियोजना का तकनीकी अनुमोदन– निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार द्वारा तकनीकी समिति की अनुशंसा सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार को अवलोकनार्थ एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जायेगी। तकनीकी समिति द्वारा प्रस्तुत की गई तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार द्वारा उक्त परियोजना की तकनीकी स्वीकृति जारी कर दी जायेगी।
4. परियोजना की वित्तीय स्वीकृतिः– परियोजना की तकनीकी स्वीकृति होने के पश्चात सम्बन्धित विभाग इसकी वित्तीय स्वीकृति निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही जारी करेगा।
5. निविदा प्रकिया – तकनीकी मुल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार परियोजना के कियान्वयन हेतु कम्प्यूटर, सॉफ्टवेयर एवं विविध मदों के क्रय हेतु एक क्रय समिति का गठन किया जायेगा। ऐसी क्रय समिति का गठन सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार के एक प्रतिनिधि इस समिति के सदस्य होंगे।

(स) 50 लाख रूपये से अधिक की लागत की परियोजनाओं के लियेः–

1. परियोजना को तकनीकी अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किया जाना – संबंधित विभाग द्वारा तकनीकी समिति को परियोजना प्रस्तुत करने से पूर्व प्रशासनिक विभाग से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी, तत्पश्चात ही संबंधित विभाग द्वारा उक्त परियोजना के तकनीकी अनुमोदन के लिये निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
2. तकनीकी समिति द्वारा परियोजना का मूल्यांकन – निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार द्वारा उक्त परियोजना के प्रस्ताव का तकनीकी मुल्यांकन कराया जायेगा।

3. परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा परियोजना का अनुमोदन– निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार द्वारा तकनीकी समिति की अनुशंसा सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार को अवलोकनार्थ एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जायेगी। तकनीकी समिति द्वारा प्रस्तुत की गई तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार द्वारा उक्त परियोजना की स्वीकृति जारी कर दी जायेगी।

4. परियोजना की वित्तीय स्वीकृतिः– परियोजना की तकनीकी स्वीकृति होने के पश्चात सम्बन्धित विभाग इसकी वित्तीय स्वीकृति निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही जारी करेगा।

5. निविदा प्रक्रिया – तकनीकी मुल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार परियोजना के कियान्वयन हेतु कम्प्यूटर, सॉफ्टवेयर एवं विविध मदों के क्रय हेतु एक क्रय समिति का गठन किया जायेगा। ऐसी क्रय समिति का गठन सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार के एक प्रतिनिधि इस समिति के सदस्य होंगे।

संबंधित विभाग द्वारा अपनी परियोजनाओं को अनुमोदनार्थ सर्वाधिकार प्राप्त समिति/तकनीकी समिति के समक्ष तभी प्रस्तुत किया जायेगा जब इस बजट प्रावधान उपलब्ध हो।

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित परियोजनाओं के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी कार्य बल (अथवा बहुगत) द्वारा प्रदत्त सुझावों पर विचार किया जाना आवश्यक होगा।

परियोजना अनुमोदन समिति आवश्यकता को देखते हुये परियोजना को सर्वाधिकार समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के हेतु निर्णय ले सकती है।

इस आदेश के जारी होने के पश्चात पूर्व में जारी किये गये CITPA के गठन के आदेश संख्या F6(30)AR/Gr.3(95) dt. 29.1.1999, टास्क फोर्स कमेटी के गठन के आदेश संख्या F6(25)/AR/Gr.3/2001 dt. 3.7.01 एवं सर्वाधिकारी प्राप्त समिति के गठन के आदेश संख्या F6(13)/AR/Gr.3/2002 dt. 23.4.02 आदि को निरस्त समझा जाये।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग उपरोक्त समिति के लिये प्रशासनिक विभाग होगा। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

आज्ञा से

(आर. सी. अग्रवाल)
उप शासन सचिव

*प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–*

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर
2. सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार
4. समस्त प्रमुख्य शासन सचिव, राजस्थान सरकार
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान सरकार
6. समस्त सचिव, राजस्थान सरकार
7. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान सरकार
8. निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर को आज्ञा की अतिरिक्त प्रतियां संबंधित सदस्यों हेतु प्रेषित है
9. समस्त विभागाध्यक्ष
10. उप शासन सचिव, योजना
11. उप शासन सचिव, वित्तीय (व्यय–I, II, III & IV)
12. गार्ड फाईल।

उप शासन सचिव